भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1053
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जारी की गई निधियां

1053. श्री नतुजी हालाजी ठाकोर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए 100 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान राज्यों को आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधि की अधिकतम धनराशि प्राप्त करने वाले पांच राज्य कौन-कौन से हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात को अधिकांश राज्यों की तुलना में काफी कम धनराशि प्राप्त हुई है ?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री लालचंद कटारिया)

(क): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क से न जुड़ी पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 एवं इससे अधिक (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों और पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों, मरुभूमि वाले क्षेत्रों (मरुभूमि विकास कार्यक्रम में यथा निर्धारित) और समेकित कार्ययोजना (आईएवाई) के अंतर्गत गृह मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित 82 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 एवं इससे आबादी वाले कोर नेटवर्क में सड़क से न जुड़ी पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने की संकल्पना की गई है। खेत से बाजार तक सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा ग्रामीण सड़कों का उन्नयन भी इस योजना का एक उद्देश्य है, यद्यपि यह इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। 50 मीटर (आईएपी जिलों में 75 मीटर) तक लंबे पुलों सहित नयी सड़क के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। लंबे पुलों के लिए राज्यों द्वारा निधियों में हिस्सेदारी पूर्व निर्धारित आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, नवीकरण एवं अनुरक्षण का वित्तपोषण राज्यों द्वारा किया जाता है।

(ख): वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक राज्यों को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग): उपर्युक्त अवधि के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सर्वाधिक निधियां मिलीं।

(घ): पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय में राज्य से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं और इनके लिए राज्यों को निधियां रिलीज की जाती हैं। इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक गुजरात राज्य को इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,01,550.51 करोड़ रु. की कुल रिलीज की तुलना में 1,434.86 करोड़ रु. रिलीज किए गए हैं।

*****

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1053 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों को रिलीज की गई निधियों के ब्यौरे (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन (उपकर) 2004-05	रिलीज 2004-05	आवंटन (उपकर) 2005-06	रिलीज 2005-06	आवंटन (उपकर) 2006-07	रिलीज 2006-07	आवंटन (उपकर) 2007-08	रिलीज 2007-08	आवंटन (उपकर) 2008-09	रिलीज 2008-09	आवंटन (उपकर) 2009-10	रिलीज 2009-10	आवंटन (उपकर) 2010-11	रिलीज 2010-11	आवंटन (उपकर) 2011-12	रिलीज 2011-12
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1.	आंध्र प्रदेश	90	89	100	184	100	155	105	317	105	471	90	872	37	667	47	607
2.	अरूणाचल प्रदेश	35	0	52	52	52	54	57	102	57	104	49	283	20	370	25	213
3.	असम	75	165	176	157	176	431	181	555	181	967	155	1,179	64	1,901	81	1,683
4.	बिहार	150	16	332	223	332	524	337	701	337	1,023	288	1,693	118	3,366	150	3,336
5.	छत्तीसगढ़	87	215	235	303	235	709	240	1,051	240	931	205	510	84	679	107	802
6.	गोवा	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	0	1	0	1	0
7.	गुजरात	50	0	60	69	60	117	65	145	65	230	56	194	23	322	29	67
8.	हरियाणा	20	28	25	20	25	200	30	216	30	272	26	255	11	158	13	60
9.	हिमाचल प्रदेश	60	14	82	171	82	140	87	313	87	269	74	125	31	199	39	305
10.	जम्मू व कश्मीर	20	20	60	70	60	0	65	72	65	191	56	370	23	366	29	757
11.	झारखंड	110	0	170	153	170	57	175	0	175	209	149	418	61	839	78	843
12.	कर्नाटक	95	0	105	141	105	46	110	271	110	635	94	765	39	918	49	0
13.	केरल	20	10	25	42	25	15	30	25	30	82	26	100	11	144	13	200
14.	मध्य प्रदेश	213	256	435	370	435	1,150	440	1,616	440	1,844	376	2,111	154	1,966	196	1,138
15.	महाराष्ट्र	130	0	140	142	140	103	145	564	145	1,030	124	944	51	1,238	65	791
16.	मणिपुर	20	18	28	6	28	0	33	76	33	20	28	149	12	145	15	176
17.	मेघालय	35	0	40	8	40	0	45	0	45	36	38	0	16	64	20	37
18.	मिजोरम	20	46	27	61	27	27	32	19	32	65	27	45	11	96	14	94
19.	नागालैंड	20	18	25	55	25	0	30	13	30	86	26	65	11	25	13	10
20.	उड़ीसा	175	175	268	305	268	625	273	547	273	1,251	233	1,594	96	2,467	122	1,965
21.	पंजाब	25	0	30	49	30	81	35	360	35	243	30	348	12	194	16	165
22.	राजस्थान	130	649	229	435	229	1,142	234	1,647	234	1,771	201	583	82	886	105	668
23.	सिक्किम	20	0	25	40	25	36	30	170	30	55	26	70	11	77	13	80
24.	तमिलनाडु	80	80	85	59	85	20	90	71	90	89	77	520	32	470	40	160
25.	त्रिपुरा	25	0	35	20	35	71	40	130	40	360	34	152	14	258	18	206
26.	उत्तर प्रदेश	315	317	370	632	370	325	375	1,219	375	1,650	324	2,838	133	1,309	169	204
27.	उत्तराखंड	60	0	95	14	95	13	100	79	100	115	85	165	35	238	45	295
28.	पश्चिम बंगाल	135	270	221	354	221	124	226	545	226	623	193	375	79	820	101	824
	कुल (राज्य)	2,220	2,386	3.480	4,135	3,480	6,165	3,615	10,823	3,615	14,621	3,089	16,724	1,269	20,181	1,614	15,685